



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-26.09.2025

थाना कांधला की मिशन शक्ति टीम द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग से दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनांक 25.09.2025 को थाना कांधला पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 26 .09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0 पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस की मिशन शक्ति टीम द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.शारुख पुत्र अलीशान निवासी ग्राम खन्द्रावली थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

3.है0का0 रविन्द्र तोमर थाना कांधला जनपद शामली।

4.म0है0का0 मिथलेश थाना कांधला जनपद शामली।

5.म0है0का0 श्वेता थाना कांधला जनपद शामली।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 पशु चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी भैंस बरामद ।

ज्ञात हो कि दिनांक 24.09.2025 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला पंसारियान शामली से अज्ञात चोर द्वारा भैंस चोरी कर लेने की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में पीडित की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 26 .09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0 पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत भैंस चोरी की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1.जीशान पुत्र एहसान निवासी मौ0 पंसारियान शामली थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

1.एक भैंस जिन्दा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 ज्ञानेन्द्र थाना कोतवाली जनपद शामली ।

2.कां0 जितेन्द्र थाना कोतवाली जनपद शामली ।

3.कां0 नकुल थाना कोतवाली जनपद शामली ।

4.कां0 मयन कुमार थाना कोतवाली जनपद शामली ।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 08 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद:-

दिनांक 25.09.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त रमन पुत्र भीम सिंह निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली को अवैध 08 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.रमन पुत्र भीम सिंह निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण

1.अवैध 08 लीटर अवैध कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.उ0नि0 श्री अखिलेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0कां0 अशोक कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0कां0 तेजेन्द्र कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद:-

दिनांक 25.09.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त वीरु पुत्र धीरु उर्फ शंकर निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली को अवैध 05 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. वीरु पुत्र धीरु उर्फ शंकर निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण

1. अवैध 05 लीटर अवैध कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामली।

2. है0कां0 संजीव कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3. कां0 नरेन्द्र कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद:-

दिनांक 25.09.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त बाबूराम पुत्र निरंजन सिंह निवासी ग्राम खानपुर जाटान थाना झिंझाना जनपद शामली को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. बाबूराम पुत्र निरंजन सिंह निवासी ग्राम खानपुर जाटान थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण

1. अवैध 10 लीटर अवैध कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2. है0कां0 आशीष कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3. है0कां0 विकास कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गन्दराऊ में योजना बनाकर नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोशी की हालत में जान से मारने की नियत से छत से गिराने पर महिला की उपचार दौरान मृत्यु की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

ज्ञात हो कि दिनांक 17.09.2025 को वादी जुनैद पुत्र श्री शौकत निवासी ग्राम तितरवाडा जनपद शामली की बहन अनवारी के पति राशिद, उसकी बहन हदीसा व भांजी रानी के द्वारा योजना बनाकर नशीला पदार्थ लिखाकर बेहोशी की हालत में जान से मारने की नियत से छत से गिराने पर अनवारी की उपचार के दौरान मृत्यु की घटना के सम्बन्ध में थाना कैराना पर दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली ने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी कैराना को निर्देशित किया गया ।

इसी क्रम में दिनांक 25.09.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गन्दराऊ में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोशी की हालत में जान से मारने की नियत से छत से गिराने पर महिला की उपचार दौरान मृत्यु की घटना में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त

1.राशिद पुत्र नाजर निवासी ग्राम गन्दराऊ थाना कैराना जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री यूनुश खान थाना कैराना जनपद शामली ।
- 2.है0का0 राहुल थाना कैराना जनपद शामली ।
- 3.है0का0 आकाशदीप थाना कैराना जनपद शामली ।
- 4.का0 भानू थाना कैराना जनपद शामली ।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व सशक्त पैरवी करते हुए जानलेवा हमला करने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय शामली द्वारा सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

वर्ष 2022 में थाना आदर्शमंडी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शेखूपुरा निवासी सुमन पत्नी सुखपाल की पुत्री आयुषी को उसी के गांव के सागर पुत्र स्व0 प्रकाश निवासी ग्राम शेखूपुरा द्वारा जान से मारने की नियत से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इसके संबंध में थाना आदर्शमंडी पर मु0अ0सं0 45/2022 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त सागर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इसी क्रम में पुलिस द्वारा सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 26.09.2025 को माननीय न्यायालय एडीजेएसपीएल एससी/एसटी शामली द्वारा अभियुक्त सागर उपरोक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित व अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI